भारत COURT FEE Rs.20 INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(211)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध, ~~पुनरीक्षण~~ प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–शिवपुरी

विविध-0181/2019/शिवपुरी/भू.रा.

अतर सिंह पुत्र श्री मुन्नालाल आदिवासी
निवासी– ग्राम खिसलौनी तहसील खनियाधाना
जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

.........आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला – शिवपुरी म.प्र.

...........अनावेदक

श्री ______ द्वारा आज दि. 28.1.19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 1.2.19 नियत।
25-1-19
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

**व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अधीन आवेदन–पत्र।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2016–17/अ–21 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2018 के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 6272/18/शिवपुरी/भू. रा. प्रस्तुत की गयी थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 14.01.2019 पारित किया गया है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)

2. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष जो निगरानी प्रस्तुत की गयी थी उसमें ग्राम खिसलौनी तहसील खनियाधाना में स्थित भूमि का उल्लेख त्रुटिवश किया गया है, जबकि वास्तविक रूप से भूमि ग्राम मुहारी कला तहसील खनियाधाना में स्थित है। इसलिये ग्राम खिसलौनी के स्थान पर ग्राम ''मुहारीकला'' आदेश में स्थापित किया जाना आवश्यक है।

3. यहकि, माननीय न्यायालय के आदेश में यह उल्लेख किया गया है, कि भूमि विक्रय की अनुमति इस शर्त पर दी जाती है, कि क्रेता द्वारा वर्तमान वर्ष की गाईड लाईन से भूमि का मूल्य अदा किया जायेगा। जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष कलेक्टर जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेख किया है, कि शपथकर्ता अतर सिंह द्वारा भूमि के क्रेता जगभान से 1 लाख रूपये ब्याने में प्राप्त कर लिये है। तथा बकाया राशि विक्रय के समय प्राप्त करूगा। इसी प्रकरण में

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 0181/2019 जिला शिवपुरी

अतरसिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22–8–2019 | आवेदक अभिभाषक विविध आवेदन अन्तर्गत धारा 152 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। आवेदक अभिभाषक के तर्क सुने। आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह अनुरोध किया कि उसके द्वारा पूर्व में जो मूल निगरानी 6272/2018/शिवुपरी/भू0रा0 प्रस्तुत की गई थी उसमें ग्राम खिसलौनी तहसील खनियाधाना त्रुटिवश उल्लेख हो गया था जबकि वास्तविक रूप से भूमि ग्राम मुहारी कला तहसील खनियाधाना में स्थित है इसलिए ग्राम खिसलौनी के स्थान पर ग्राम ''मुहारीकला'' आदेश में स्थापित किया जाये। इसके अतिरिक्त मूल आदेश में 14–5–2018 में विकय अनुमति दिये जाने का आदेश दिया है जिसमें से ''कलेक्टर गाईड लाईन से'' अनुमति दिया जाना विलोपित किया जाये।<br>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण कमांक निगरानी निगरानी 6272/2018/शिवुपरी/भू0रा0 में दिनांक 10–1–2019 को अंतिम आदेश पारित किया गया है जिसमें विकय की अनुमति कलेक्टर गाईड लाईन से भूमि का मूल्य अदा करने पर दी गई है। आवेदक मूल आदेश में परिवर्तन कराना चाहते हैं इसके लिए विधिवत म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। इस विविध आवेदन में यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। द्वितीयः मूल निगरानी प्रकरण में आवेदक द्वारा ग्राम खिसलौनी तहसील खनियाधान लेख किया है और उसी अनुसार आदेश में भी ग्राम खिसलौनी तहसील खनियाधान टंकित है। यदि आवेदक को ग्राम खिसलौनी के स्थान पर मुहारीकला परिवर्तित कराना था | |

तब उसे विधिवत मूल निगरानी में ही त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। अब अंतिम आदेश होने के पश्चात मूल निगरानी मेमो एवं आदेश में धारा 152 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 के अन्तर्गत सुधार किया जाना न्यायसंगत नहीं है। फलस्वरूप यह विविध आवेदन अस्वीकार किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(जे0के0 जैन)
सदस्य